

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 436/2023

**News Item Titled “Building Boom Put Vulnerable Gangotri Dham At Risk:
Experts” Appearing in the Hindustan Times Dated 08.08.2025.**

Versus

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 418/2025

PRIYANK BHARATI

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 22.09.2025 PASSED BY THE HON’BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE GOVERNMENT ORDERS DT. 30.06.2020, 09.06.2014, 23.09.2014, 18.03.2020, 31.12.2020, 12.07.2023, 30.04.2024 AND 12.04.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	

THROUGH COUNSEL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bpsjadon', enclosed within a circular scribble. A long horizontal line extends from the right side of the signature.

**BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.**

Bhanwar09jadon09@gmail.com 9639286572

Date: 26.05.2026

Place: NOIDA

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 436/2025

**News Item Titled "Building Boom Put Vulnerable Gangotri Dham At Risk:
Experts" Appearing in the Hindustan Times Dated 08.08.2025.**

Versus

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 418/2025

PRIYANK BHARATI

...APPLICANT

VERSUS

UNION

OF

INDIA

&

ORS.

...RESPONDENT(s)

**RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7 IN COMPLIANCE OF
THE ORDER DT. 22.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**

I, **Arun Prakash.**, aged about **59** years, S/o **Late Shri P. N. Chaurasia** , presently posted as **Special Secretary (Revenue), Government of U.P. at Lucknow**, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

[Handwritten Signature]



2. That in the present matter the applicant has raised a plea that on account of cloud burst on 05.08.2025 at Dharali at the confluence of the Kheer Gad & Bhagirathi River, severe damage has been caused in the downstream districts including Bijnor, Muzaffarnagar, Meerut, Hapur and several other places.

3. That the above-captioned matters were last listed for hearing on 22.09.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"4.OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

5.Issue notice to the respondents for filing their reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing.

6.Applicant is directed to serve the respondent and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

7.It has been pointed out that Tribunal in OA No. 436/2025 is considering the issue of illegal construction creating danger in Gangotri Dham."

4. That there is no provision under the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (as amended) regarding agricultural allotment of river land, nor is any such allotment undertaken at the level of the Revenue Department or the Revenue Council. That lands covered under Section 77(1) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (as amended) do not confer bhumidhari rights. Any allotment or lease made in respect of such lands is not legally valid.

5. That Section 77 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (as amended) specifies lands over which bhumidhari rights cannot accrue. Such lands include:



- (a) Land used for threshing floors, manure pits, grazing grounds, graveyards or cremation grounds;
- (b) Land covered with water and used for cultivation of water chestnut or other produce;
- (c) Land situated in the river bed and used for casual or occasional cultivation;
- (d) Areas under shifting or temporary cultivation as may be notified by the State Government;
- (e) Land declared or reserved by the State Government for Taungya plantation;
- (f) Orchard land vested or deemed to have vested in a Gram Panchayat or other local authority under Section 59;
- (g) Land included in any slate farm or malguzari land vested or deemed vested in a Gram Panchayat or local authority under Section 59;
- (h) Land acquired or held for public purpose or public utility works;
- (i) Land comprising ponds, tanks, lakes, embankments, dams or bhitias; and
- (j) Any other land specified by the State Government through notification.
6. That provisions relating to allotment of land are contained under Sections 125 and 126 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (as amended), under which allotments are made by competent authorities.
7. The procedure relating to cancellation of allotments and leases is provided under Section 128 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 and Rule 126 of the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016.

Section 128 – Cancellation of Allotment and Lease: The Collector may, either suo motu or upon an application made by an aggrieved person, inquire



into any allotment in the prescribed manner, and if satisfied that such allotment has been made in contravention of the provisions of the Code, or any enactment repealed by the Code, or rules framed thereunder, may cancel such allotment and lease, if any.

8. That detailed guidelines and procedures to prevent damage, misuse and unauthorized occupation of Gram Panchayat property are provided under Sections 66/67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (as amended) and Rules 66 and 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016, under which action is taken by competent authorities.
9. It is noteworthy that, from time to time, the following Government Orders have also been issued providing detailed guidelines for prevention of illegal encroachment over public utility land and ensuring use of land in accordance with the purpose recorded in revenue records:
 - i. Government Order No. 703/One-2-2014 dated 09.06.2014
 - ii. Government Order No. 1299/One-2-2014 dated 23.09.2014
 - iii. Government Order No. 240/One-2-2020 dated 18.03.2020
 - iv. Government Order No. 1674/One-2-2020 dated 31.12.2020
 - v. Government Order No. 1285/One-2-2023 dated 12.07.2023
 - vi. Government Order No. 1/552648/One-2-2024 dated 30.04.2024
 - vii. Government Order No. Writ-766/One-2-2025 dated 12.04.2025
10. Further, with regard to removal of encroachments from ponds situated in the State, a State-Level Committee under the chairmanship of the Commissioner and Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh, Lucknow, was constituted vide Office Order No. 142/One-2-2020-6 (Writ) dated 30.06.2020 issued by



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य अनुभाग-2
संख्या-142/एक-2-2020-0(रिट)/2020
लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2020

कार्यालय-आदेश

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी०आई०एच० सं०-1474/2019 सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसाइटी बनाम उ०प्र० राज्य व 7 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-09-2019 के क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

- 1- The Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh shall constitute a Committee in consultation with the Chairman, Board of Revenue, which shall monitor the compliance of the judgements of the Supreme Court and this Court. The said Committee shall also invite Justice Ram Surat Ram (Maurya) (Former Judge of this Court) as a special invitee in its meeting. Justice Maurya shall be paid Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand) remuneration for attending each such meeting in addition to his conveyance and other charges;
- 2- the Collectors of each District of the State shall entrust the the Additional District Magistrate (Finance & Revenue) to make a list of ponds which are recorded in the revenue records in the year 1951-52. He shall also prepare a list of the ponds which are under the encroachment or in respect of which the lease has been granted;
- 3- we charge the Additional District Magistrates (Finance & Revenue) of each District of the State to comply these directions;
- 4- the Collectors shall proceed to cancel the lease of the ponds and restore the ponds in accordance with law and directions issued by the Supreme Court. The Collectors shall send a progress report in every six month to the Committee constituted by the Chief Secretary;
- 5- the Committee shall hold its meeting, at least, after every three to four months and monitor the progress of restoration of ponds in the State. In case any legal impediment arises, the Collector shall apprise the monitoring Committee, which shall issue appropriate guidance to the Collector concerned in accordance with law; and
- 6- the other Committees, which were constituted earlier at State level and District level, shall also send their report to the Monitoring Committee.

2- जनहित याचिका संख्या-1474 of 2019, Support India Welfare Society vs. State of U.P. and other में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्वन्ध में निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति गठित किया जाता है:-

Handwritten signature



आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद	अध्यक्ष
विशेष सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
विशेष सचिव, वन विभाग	सदस्य
विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
विशेष सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का हो।	सदस्य
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, उ०प्र० राजस्व परिषद	सदस्य संयोजक

3- मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, बैठक के समय अलग से श्री रामसूरत राम मौर्या, पूर्व मा० न्यायाधीश को बैठक विशेष आमंत्रि के रूप में आमंत्रित करेंगे।

4- समिति अपने स्तर से प्रदेश के तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों से सम्पर्क स्थापित कर सूचना एकत्रित करते हुए बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समय-समय पर आख्या मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति मा० न्यायालय के आदेशों के क्रम में अधिक सक्रियता एवं कम सक्रियता वाले जनपदों का गहनतापूर्वक विश्लेषण करते हुए आख्या राज्य स्तरीय कमेटी एवं शासन को प्रस्तुत करेगी।

5- समस्त जिलाधिकारी प्रदेश के तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में जनहित याचिका संख्या-1474 of 2019, Support India Welfare Society vs. State of U.P. and other में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 के पृष्ठ-15 के उप प्रस्तर-(II) से (VI) के सम्बन्ध में 1951-52 को आधार वर्ष मानते हुए तालाबों की सूची बनाने एवं अन्य दिशा निर्देश हेतु अपर जिलाधिकारी (वि० व रा०) को निर्देशित किया जाय।


रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-142(1)/एक-2-2020 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, वन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. गार्ड बुक।



आज्ञा से,

(धीरज शर्मा)
विशेष सचिव।



जाए/श्री माला
०९.६.१४

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-703/एक-2-2014-रा-2

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ०प्र० लखनऊ।

2-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक ९ जून, 2014

विषय:- प्रदेश में ग्राम सभा/सार्वजनिक भूमि पर से अनाधिकृत कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में ग्राम सभाओं की भूमियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न शिकायती पत्र शासन स्तर पर प्राप्त हो रहे हैं। इन भूमियों पर किये गये अवैध कब्जों एवं अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए समय-समय पर निर्देश शासन स्तर से निर्गत किये जाते रहे हैं। ग्राम सभा में निहित भूमियों यथा तालाब, पोखर, चकरोड, नाली, व अन्य भूमियों पर से अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की समस्त ग्राम सभाओं में स्थित ग्राम सभा भूमियों का सर्वेक्षण कराकर ग्राम सभा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जों/अतिक्रमण को चिन्हित कर लें तथा उन्हें अतिक्रमण/कब्जा मुक्त कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।


2- उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-122(बी) में ऐसी सम्पत्ति जो ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो, की सुरक्षा के समुचित प्राविधान है। उक्त धारा-122बी(1) में प्राविधानित है कि जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित किसी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है तो उसे सहायक कलेक्टर, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानीय प्राधिकारी की सूचना पर अथवा धारा-122 वी(2) के अन्तर्गत स्वमेय संज्ञान लेकर अवैध कब्जा हटाने की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या-1132(सी०)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिका (सी०) 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका (सी०)19869/2010 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में पारित निर्णय दिनांक 28-1-2011 एवं अपील (सी०) 4787/2011, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25-7-2001 एवं रिट याचिका संख्या-6472(एम/वी)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा०



उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओं के तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-252रिट/1-2-2012-रा-2 लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिलाधिकारी अपने नियंत्रणाधीन जनपदों में ग्राम सभा/सार्वजनिक भूमि पर से अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराये तथा कृत कार्यवाही की सूचना शीर्ष प्राथमिकता पर राजस्व परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजस्व परिषद प्रदेश की संहत/संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4- कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।


9/6/2014


9.6.14

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।





प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- (1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2014

विषय:- ग्राम सभा की भूमि यथा तालाब/पोखर, खलिहान, पशुचर इत्यादि पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनहित याचिका सं० Misc. 7705 of 2014 Ram Kripal [P.I.L.] Vs. State of U.P. Thru. Secy. Revenue Deptt. & 4 Ors. में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"The petitioner has moved these proceedings in public interest, complaining that though an order has been passed under Section 122-B of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 in respect of an encroachment on public utility land comprised in Gata No.704 Ka, area 0.3740 hectares, situated at Village Shahpur, Pargana Patti, Tehsil Raniganj, District Pratapgarh, no effective steps have been taken for enforcing the order which was passed on 31 March 2011.





(2)

A self contained procedure is provided under Rule 115-E of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952 for the enforcement of an order of eviction and for the recovery of any amount which is directed under Section 122-B of the Act. We notice that the Court has been repeatedly moved in proceedings under Article 226 of the Constitution complaining of the inaction of the authorities concerned to initiate steps under Section 122-B of the Act or, as the case may be, on the failure of the authorities to enforce the order once it has passed. This is nothing but a dereliction of duties on the part of the public authorities. Citizens are compelled to move the Court because public authorities turn a blind eye to the encroachments on public utility lands. Even where orders are passed, they are not enforced effectively.

Hence, we direct the Principal Secretary (Revenue) of the State of U.P. to take stock of the situation and to issue peremptory and strict directions in that regard so as to obviate the Court being required to entertain a large number of litigation which should otherwise not arise if the public authorities do their duties effectively and faithfully."

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में प्रेक्षण (observation) व्यक्त किया गया है कि उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा -122 बी के अंतर्गत बनाये गये उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली 1952 के नियम 115 ई में ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण / अनाधिकृत कब्जे की बेदखली एवं क्षतिपूर्ति को वसूली की प्रक्रिया निर्धारित है परन्तु लोक प्राधिकारी द्वारा इन पर कार्यवाही करने एवं पारित आदेशों के क्रियान्वयन की विफलता एवं अनदेखी के कारण नागरिकों को न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश होना पड़ता है।

शासन एवं राजस्व परिषद द्वारा समय-समय पर ग्राम सभा की भूमियों तथा चकरोड, नाली, पशुचर, खलिहान, कब्रिस्तान एवं तालाव/पोखर पर अतिक्रमण/ अवैध कब्जों को हटाने एवं क्षतिपूर्ति वसूली किये जाने के संबंध में शासनादेश/परिषदादेश द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

[Handwritten signature]



शासनादेश संख्या-3135/1-2-2001-रा-2 दिनांक 08-10-2001 द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमलादेवी आदि में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

परिषदादेश संख्या-2104/2174/जी-5-1 डी/07 दिनांक द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-38910 वर्ष 2003 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डिप्टी कलेक्टर कन्सालीडेशन, देवरिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2005 के अनुपालन में तालाबों, / पोखरों पर अतिक्रमण/अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या-703/एक-2-2014-रा-2 दिनांक 09-06-2014 एवं परिषदादेश संख्या आर 6198/जी-5-19-आर (रिट)/12 दिनांक 09 जून, 2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को सिविल अपील संख्या-1132 (सी) 19869/2011 विशेष अनुज्ञा याचिका (सी) 19869/2010 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2011, अपील संख्या(सी) 4787/2011 हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या-6412 (एमबी)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा अन्तिम रूप से पारित आदेश दिनांक 28.05.2014 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में ग्रामसभाओं की भूमि यथा तालाब/पोखर, चारागाह व कब्रिस्तान, इत्यादि पर अवैध कब्जों/अतिक्रमण हटाने के संबंध में अनुपालन हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

रिट याचिका संख्या-6412 (एम.बी.)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा अन्तिम रूप से पारित आदेश दिनांक 28.05.2014 में निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं:-

"1. The District Collectors and other revenue authorities of the district shall ensure that the statutory duty cast on the land management

Handwritten signature



(1)

committee and the local authority under section 122-B (1) of U.P.Z.A & L.R Act and Rule 115-C (1) and (2) of the U.P.Z.A & L.R Rules is attended to in all seriousness.

2. The District Collectors shall ensure that Lekhpal of the area concerned attends his duty cast on him under sub-rule (3) of Rule 115-C of U.P.Z.A & L.R Rules, inasmuch as, the Lekhpal will report to the Collector through Tehsildar all cases of wrongful occupation of damage to; or misappropriation of the wrongful occupation of the gaon sabha property as soon as they come to his notice and in any case after the conclusion of Kharif and Rabi Partal every year.

3. The District Collectors shall ensure that Tehsildar of the area concerned shall satisfy himself in the month of May every year that each Lekhpal has submitted reports as envisaged under sub-rule (3) of Rule 115-C of U.P.Z.A & L.R Rules.

4. The District Collectors are also directed to take action in accordance with the provision in Rule 115-D in case of failure on the part of Land Management Committee or the local authority, as the case may be.

5. The Assistant Collector, within whose jurisdiction any illegal occupation or damage or misappropriation of gaon sabha land is reported, shall immediately institute the proceeding and conclude the same in accordance with law. The Assistant Collector (who in accordance with para 315 of Revenue Manual is the Tehsildar of the area concerned) shall not only institute the proceedings on the information received/ application made under Section 122-B (1) of U.P.Z.A & L.R Act by Land Management Committee or the local authority concerned but will also act on an application moved otherwise by any person alleging therein illegal occupation on and damage caused to gaon sabha land and will conclude the same in accordance with law with expedition.

6. The District Collectors are also directed to ensure that once the order for eviction or payment of compensation as damages is passed, the same is executed at the earliest, in appropriate cases by using such force as may be necessary. Realization of the amount of compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation of gaon sabha land



shall also be made from the person concerned as arrears of land revenue expeditiously.

7. So far as the illegal possession of the housing sites allotted to the individuals is concerned, we may prefer to the provision contained in section 122-D, which provides a complete procedure for restoration of possession of land allotted to any person for the purposes of building of house and on such land any person other than the allottee is in occupation. Under section 122-D, as well, the Assistant Collector has been empowered to take action for the restoration of the possession to the allottee of the land allotted for housing purpose, if the same is in illegal occupation of some other person.

8. Sub-section (2) of Section 122-D of U.P.Z.A & L.R Act provides that the person having been once evicted under Section 122-D (1) is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to two years and which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees. Thus, in case any person re-occupies the land allotted as housing site, after once being evicted, he can be proceeded against by launching criminal prosecution under section 122-D (2) of the Act. The District Collectors shall ensure that besides eviction proceedings under Section 122-D, criminal proceedings are also instituted against such persons."

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-2012 के अनुपालन में प्रदेश में ग्राम सभाओं के तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने के संबंध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 252-रिट/1-2-2012-रा-2 लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के मण्डलायुक्त एवं प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

उपलिखित एवं समय-समय पर प्रसारित अन्य सभी शासनादेशों/परिषदादेशों में दिए गए निर्देशों एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-7705/2014 राम कृपाल बनाम उ०प्र० सरकार में पारित आदेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि

(Handwritten signature)



(6)

ग्राम सभाओं की भूमियों यथा-तालाव/पोखर, पशुघर, खलिहान, कब्रिस्तान इत्यादि पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जों को हटाने हेतु उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा -122 वी एवं उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली 1952 के नियम 115 C एवं D डी में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

जिन प्रकरणों में उक्त धारा/नियम के अंतर्गत बेदखली एवं हर्जाना वसूली के आदेश पारित हो चुके हैं, उनका क्रियान्वयन नियम 115 ई में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से सुनिश्चित किया जाय।

इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिलाधिकारी अपने नियंत्रणाधीन जनपदों में ग्राम सभा/सार्वजनिक भूमि पर से अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्यवाही की प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराये तथा कृत कार्यवाही की सूचना शीर्ष प्राथमिकता पर राजस्व परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजस्व परिषद प्रदेश की संहत/संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

ग्राम सभा की उपरोक्त वर्णित भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही के वादों के निस्तारण की सघन समीक्षा जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा मासिक बैठक में की जाय तथा जो अधिकारी इसमें शिथिलता बरत रहे हों उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

23/9/14
23.9.14

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव



प्राप्त,

शेषनाम कुमार,
अपर मुख्य शक्ति,
उ०प० शासन ।

सेतागै,

सगरत जिलाधिकारी,
सत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2020

विषय- सन् 1952 (फसली वर्ष 1359) की स्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/खलिहान/चारागाह आदि की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाकर उसको मूलस्वरूप प्रदान करने के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1299/एक-2-2014-रा-2, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश के तालाब आदि की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाने एवं उसे मूलस्वरूप में लाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इस निर्देश के अनुसार तालाब आदि की अतिक्रमण भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने की अपेक्षित कार्यवाही न हो पाने के कारण शासन स्तर पर विपुल मात्रा में शिकायती पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ ही मा० उच्च न्यायालय में व्यापक मात्रा में जनहित याचिकाएँ दायर हो रही हैं, जिनमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आरक्षित श्रेणी की सार्वजनिक भूमियों को अवैध कब्जा मुक्त कराने एवं दोषी लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं, किन्तु जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही न करने के कारण बड़ी मात्रा में अवैध कब्जे की शिकायतें मिलने के साथ मा० उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी योजित हो रही हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमियों पर अवैध कब्जे बने रहने से एक ओर जहाँ आम जनता को परेशानी होती है वहीं दूसरी ओर शासन की भी छवि धूमिल होती है।

2- अतः वर्णित परिस्थितियों में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि फसली वर्ष 1359 (सन् 1952) की प्रारिथति के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खलिहान, चारागाह आदि आरक्षित श्रेणी की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को तत्काल हटवाकर उन्हें मूलस्वरूप में लाया जाय। तालाब आदि को मनरेगा के तहत खूदवाकर उसे उसका मूल स्वरूप प्रदान करते हुए जनोपयोगी बनाया जाय। यदि तालाब/खलिहान/चारागाह की सुरक्षित भूमि पर त्रुटिवश सरकारी स्कूल एवं अस्पताल आदि बन गये हैं तो उसके सम्वन्ध में विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं०-19859/2010 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28-01-2011 के पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराकर उसके विनियमन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

3- उपरोक्त के अनिश्चित चारागाह आदि की सुरक्षा के लिए सम्बन्धित ग्राम निधि का उपयोग कर उसे सुरक्षित एवं यथा सम्भव पशुओं के चरने योग्य बनाया जाय। इसके साथ मा० भी सुनिश्चित किया जाय कि चारागाह की भूमि पर किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का कोई पक्का निर्माण न किया जाय।



4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पी0आई0एल0 सं0-1474/2019 सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसाइटी बनाम उ0प्र0 राज्य व 7 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-09-2019 के कियामक अंश निम्नवत् है :-

- 1- the Collectors of each District of the State shall entrust the the Additional District Magistrate (Finance & Revenue) to make a list of ponds which are recorded in the revenue records in the year 1951-52. He shall also prepare a list of the ponds which are under the encroachment or in respect of which the lease has been granted;
- 2- we charge the Additional District Magistrates (Finance & Revenue) of each District of the State to comply these directions;
- 3- the Collectors shall proceed to cancel the lease of the ponds and restore the ponds in accordance with law and directions issued by the Supreme Court. The Collectors shall send a progress report in every six month to the Committee constituted by the Chief Secretary;

5- मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में अपने से संबंधित जनपदों में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। जनहित याचिका सं0-1474/2019 सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसाइटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-09-2019 के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- प्रदेश में तालाबों पर हुए अवैध कब्जे के कारण काफी संख्या में मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएँ योजित हो रही हैं, अतः राजस्व परिषद के माध्यम से निम्नवत् प्रारूप पर अवैध अतिक्रमण हटवाने की तहसीलवार सूचना 15 दिन के भीतर आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय :-

सं० (प्र.सं० 1952 में पारित अधिनियमों में दर्ज तालाबों की संख्या)	अतिक्रमण मुक्त तालाबों की संख्या	अतिक्रमण मुक्त तालाबों की संख्या (कालम-2 के सापेक्ष)	अतिक्रमण शेष तालाबों की संख्या	अतिक्रमण शेष तालाबों की संख्या (कालम-4 के सापेक्ष)	कब्जा मुक्त तालाबों की संख्या	कब्जा मुक्त तालाबों की संख्या (कालम-6 के सापेक्ष)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8

7-समस्त अवैध अतिक्रमण न हटवाने की दशा में जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीया,
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/एक-2-2020 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्तवत् सूचना प्राप्त कर समेकित एवं सुपरीक्षित सूचना शासन को उपलब्ध करायें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि अपने स्तर पर जनपदवार समीक्षा कर वांछित सूचना राजस्व परिषद को भिजवाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
(संजय गोयल)
सचिव।

(Handwritten signature)



प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 3/ दिसम्बर, 2020

विषय : ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-खलिहान/तालाब/चारागाह आदि से अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनहित याचिका संख्या-12917/2014 श्रीमती अख्तरी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05-01-2015 एवं शासनादेश सं०-402/एक-2-2017-1(सामान्य)/2017 दिनांक 01.05.2017 एवं तत्कम में निर्गत परिषदादेश संख्या-आर-1082/जी-05-01अति/2017, दिनांक 08.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खलिहान, चारागाह आदि की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाकर उसको मूलस्वरूप प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 में उल्लिखित राजकीय भूमियों जिसमें चारागाह व अन्य आरक्षित भूमि शामिल हैं पर अवैध अतिक्रमण हटाने के कतिपय प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा बेदखली वादों में अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये हैं, परन्तु मौके पर अतिक्रमणकर्ता के अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है। अतिक्रमणकर्ता द्वारा सहायक कलेक्टर से ऊपर के न्यायालय में वाद दायर कर ऐसे वाद को कई वर्षों तक लम्बित रखकर उसी वाद के आधार पर अवैध अतिक्रमण को बनाये रखा जाता है, जबकि अवैध अतिक्रमण को मौके पर न हटाने के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं रहता है। यह स्थिति अत्यन्त गंभीर है। मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न आदेशों में तालाब, चारागाह व अन्य ग्राम सभा की सुरक्षित भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में विस्तृत आदेश पारित किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने मण्डल/जनपद में इस प्रकार के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए परिषदादेश संख्या-आर-1082/जी-05-01अति/2017 दिनांक 08.05.2017 के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। सहायक कलेक्टर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 67 के अन्तर्गत वादों में पारित बेदखली के आदेशों के अनुसार मौके पर वास्तविक रूप से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल किया जाय और यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पुनः उक्त भूमि पर कोई भी अवैध अतिक्रमण न होने पाये। यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वाद में स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है तो मात्र मा० न्यायालय में वाद लम्बित रखकर अतिक्रमणकर्ता को अवैध अतिक्रमण का अनुचित लाभ प्राप्त न होने पाये। यदि किसी प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है तो उसमें प्रभावी पैरवी कराकर समयबद्ध रूप से उक्त वाद में स्थगनादेश खारिज कराकर मौके से अतिक्रमण हटाया जाय।

3- उक्त के अतिरिक्त जनहित याचिका संख्या-12917/2014 श्रीमती अख्तरी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05-01-2015 में मा० न्यायालय द्वारा तत्समय प्रभावी उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में विहित व्यवस्था के आधार पर ग्राम सभा की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पारित किये गये हैं। सम्प्रति उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के रथान पर उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 प्रभावी है। अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-12917/2014 श्रीमती अख्तरी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2015 के अनुपालन में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में विहित व्यवस्थानुसार ग्राम सभा की





भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी तत्काल प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. जिलाधिकारी एवं जिले के अन्य राजस्व अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमि प्रबन्धन समिति और स्थानीय अधिकारीगण उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 66 व 67 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन गम्भीरतापूर्वक करें।
2. उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 66 के तहत सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल तहसीलदार के माध्यम से ग्राम सभा की सम्पत्ति पर गलत तरीके से अतिक्रमण/नुकसान के सभी मामलों को प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी फसल के पड़ताल के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. तहसीलदार प्रत्येक वर्ष मई माह में यह सुनिश्चित करेंगे कि उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 66 के तहत लेखपाल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. जिलाधिकारी द्वारा भूमि प्रबन्धन समिति या स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने की स्थिति में उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 66 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करें।
5. स्थानीय अधिकारी द्वारा गांव सभा की भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे या क्षति या धांधली की सूचना मिलने पर सहायक कलेक्टर (तहसीलदार) द्वारा अपने क्षेत्र में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के तहत तुरन्त अग्रिम कार्यवाही की जाय। स्थानीय अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से गांव सभा की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत/सूचना मिलने पर सहायक कलेक्टर (तहसीलदार) अभियान चलाकर उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 67 के तहत कार्यवाही करें।
6. गांव सभा की भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे या क्षति या धांधली के सम्बन्ध में दोषी के विरुद्ध पारित क्षतिपूर्ति या मुआवजे के भुगतान की वसूली अतिशीघ्र करायी जाय और आवश्यकतानुसार वसूली के लिए दबाव भी बनाया जाय। फिर भी यदि वसूली नहीं हो पाती है तो सम्बन्धित से क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जाय।
7. किसी व्यक्ति को मकान बनाने के प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की स्थिति में सहायक कलेक्टर द्वारा धारा-67 में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आवंटि को कब्जा दिलाया जाय।
8. उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 67 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत बेदखल किये जाने के पश्चात विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसे भूमि पर या उसके किसी भाग पर पुनः अवैध कब्जा करता है तो वहां वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो 2 वर्ष तक हो सकती है किन्तु 3 माह से कम नहीं होगी। ऐसे जुर्माने के साथ भी दण्डित किया जायेगा जो 3 हजार रुपये तक हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू करेंगे।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सलगनक: यथोक्त।

भवदीया,

(रिणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

(Handwritten signature)



प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2023

विषय:- ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने एवं राजस्व अभिलेखों में अंकित प्रयोजन के अनुसार उपयोग सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों के परिशीलन से पाया गया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 67 में दी गयी व्यवस्था एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-66 व 67 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने की दशा में अपेक्षित कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। साथ ही, शासनादेश संख्या-402/एक-2-2017-1(सामान्य)/2017, दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए राजस्व ग्रामों में स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित ग्राम सभा की भूमियों का उपयोग राजस्व अभिलेखों में अंकित प्रयोजन के अनुसार न करते हुए अन्य प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, जो कि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

2- इसी क्रम में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष योजित जनहित याचिका संख्या-415/2023 सदाराम बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.05.2023 का प्रभावी अंश निम्नांकित है :-

Since the aforesaid direction has been issued for the entire State i.e. State of U.P., therefore, the Principal Secretary, Department of Revenue, Civil Secretariat, U.P., Lucknow shall issue necessary directions/ directives/ circular to ensure that the public utility land of Gaon Sabha is free from encroachment and such public utility land be utilized only for the purpose it has been recorded in the revenue record.

3- अतः प्रस्तर-2 में उल्लिखित मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.05.2023 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा पाये जाने पर निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि राजस्व अभिलेखों में अंकित सार्वजनिक उपयोग की भूमियों का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाय जिसके लिए राजस्व अभिलेखों में ऐसी भूमि दर्ज है।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1285(1)/एक-2-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र०शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(राम रतन)
विशेष सचिव।



1552648/2024

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ० प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-2
30/04/2024

लखनऊ:

विषय: उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना ।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि ग्राम समाज की भूमि (ऊसर, बंजर, परती इत्यादि) पर अवैध कब्जे / अतिक्रमण से संबंधित जन शिकायतों पर कार्यवाही उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 में दी गयी व्यवस्था एवं उ० प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-66 व 67 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, परन्तु कतिपय जनपदों से ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं कि जिनमें ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा / अतिक्रमण संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

2. उल्लेखनीय है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-6658(सी)/2022 ऋषिपाल सिंह बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2022 पारित करते हुए ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे / अतिक्रमण को हटाने के संबंध में उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67, 67(1) व 26 के अन्तर्गत कार्यवाही में पालन की जाने वाले प्रक्रियाओं के



संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो निम्नवत है:

74. Thus, in my view, following guidelines be adopted as procedure to be applied to proceedings under Sections 67,67A and 26 of the U.P. Revenue Code. It is all aimed at ensuring transparency in the procedure, judiciousness in approach by the authorities and to thwart every complaint made with ulterior and oblique motive to dislodge a long settled possession and causing of unnecessary harassment to an innocent villager:

(i) In case of complaint made on RC Form 19, the official making it shall ensure that proper survey is done in the light of observations made in this judgment; the land, occupation of which has stood identified to be unauthorized is in exact measurement and so also shown in the survey map prepared on scale, as per the Land Revenue Survey Regulations, 1978; the exact assessment of damages on the basis of circle rate with details of calculation made on that basis.

(ii) In a case of suo-motu action, before issuing RC Form 20, the authority will ensure that proper report upon RC Form 19 is submitted as per para (i) above on parameters of sub rule 1 Rule 67.

(iii) RC Form 20 must be accompanied by a copy of report and spot survey submitted along with RC Form 19 to the person against whom proceedings have been instituted, or even otherwise submitted in case of suo motu action vide para (ii) above.

(iv) Upon reply being filed to the notice, if authority finds that spot survey/explanation report is not satisfactory, it may order for a fresh spot report to be prepared in presence of the party aggrieved.

(v) In the event, objection includes a plea of statutory protection/ benefit under Section 67-A, the authority should invite the objection from the Gaon Sabha, and will decide the same along with the matter under Section 67, without requiring aggrieved party to move separate application under Section 67-A.

(vi) If the report is admitted on record, may be in case no objection is filed, the authority must ensure presence of the person preparing the report before it, to prove the report by his statement, with a right to aggrieved party to cross question him.

(vii) The authority must endeavor to decide the case within time frame provided under the relevant Act and the Rules and should desist from granting adjournment to the parties in a routine manner.

(viii) In case of appeal under Section 67(5) of the U.P. Revenue Code, 2006, preferred/ filed within the time prescribed along with interim relief application, the interim relief application as far as possible should be decided within two weeks' time with prior notice to other side and where plea of settlement under Section 67-A has been taken before Assistant Collector-1st Class, and damages to the tune of 25 % at-least of the total damages are paid and an affidavit of undertaking is filed for not raising any further construction upon the land in question, the authorities including civil administration should avoid taking any coercive measure pursuant to the order appealed against until the disposal of interim relief application. The Appellate authority may also consider granting interim relief on the very first day of filing of appeal with stay application if above conditions are fulfilled by the appellant.

(ix) The appellate authority should as far as possible decide the appeal within a period of two months of its presentation.

3. इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-6430(सी) / 2023 शत्रोहन बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.08.2023 को आदेश पारित करते हुए उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते समय रिट याचिका संख्या-6658(सी)/2022 ऋषिपाल सिंह बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2022 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :

(क) आ० सी० फार्म-19 पर की गयी शिकायत के मामले में संबंधित अधिकारी यह

[Handwritten signature]



/552648/2024

सुनिश्चित करेगा कि जिस भूमि पर अनाधिकृत भूमि की पहचान की गयी है, का समुचित सर्वेक्षण कराते हुए सटीक पैमाइश की जाय एवं भू-राजस्व सर्वेक्षण विनियम 1978 के अनुसार पैमाने में तैयार किया गया सर्वेक्षण मानचित्र में भी प्रदर्शित किया जाय । साथ ही सर्किल रेट के आधार पर क्षति की गणना कराते हुए क्षति का सटीक आंकलन भी किया जाय ।

(ख) अन्तरिम राहत के मामले में, यदि अपील उ० प्र० राजस्व संहिता की धारा 67(5) में निर्धारित समय के भीतर की गयी हो, विपक्षी को पूर्व सूचना देते हुए यथासंभव दो सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाय और जहाँ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा-67-ए के तहत समझौते की दलील दी गयी है एवं कुल क्षति का 25 प्रतिशत हर्जाना भुगतान करते हुए संबंधित भूमि पर आगे कोई निर्माण न करने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया गया है, तो अन्तरिम राहत के आवेदन पर निर्णय होने तक कोई कार्यवाही न की जाय । अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों को पूरा किये जाने की दशा में अपीलीय प्राधिकारी स्थगन आदेश के साथ अपील दायर करने के दिन ही अन्तरिम राहत देने पर भी विचार कर सकता है ।

(ग) ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे / अतिक्रमण के प्रत्येक मामले में उ० प्र० राजस्व संहिता की धारा-67 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ० प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-66 व 67 में विहित प्रक्रिया, राजस्व परिषद के पत्रांक आर-1082/जी०-5 01 अति०/2017, दिनांक 08 मई, 2017 के पैरा-7.1 से 7.8 तक में दिये गये दिशा-निर्देशों सहित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-12-2022 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

4. कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

Digitally Signed by Guru

Prasad Porala
(पी० गुरुप्रसाद)
Date: 30-04-2024 10:31:36

Reason: Approved
प्रमुख सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव ।



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ० प्र० शासन ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र०, लखनऊ ।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव ।

५.

प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2025

विषय:- उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्रामसमाज/सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण से सम्बन्धित जनशिकायतों पर कार्यवाही उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-66 व 67 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, परन्तु कतिपय जनपदों से ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिनमें ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-43407/2024 अंजली यादव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 के प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

10. Large number of orders are coming before this Court everyday where the authorities have passed the orders in the proceedings under Section 67 of U.P. Land Revenue Code, 2006 without complying with the provisions contained in the aforesaid Section.

11. In this view of the matter, the Court is of the opinion that necessary directions should be issued by the State Government to the Revenue Authorities so that they will not repeat the same mistake in future.

प्रश्नगत रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना उक्त धारा के अन्तर्गत वेदखली के आदेश पारित किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा धारा-67 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कराये जाने हेतु समस्त राजस्व प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

3- इसी तारतम्य में रिट याचिका संख्या-6430 (सी)/2023 शत्रोहन बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.08.2023 को आदेश पारित करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते समय रिट याचिका संख्या-6658 (सी)/2022 ऋषिपाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2022 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या-आई०/552648/एक-2-2024, दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाने जाने हेतु उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67, 67(1) व 26 के अन्तर्गत कार्यवाही में पालन की जाने वाले प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो कि निम्नवत् है-

74. Thus, in my view, following guidelines be adopted as procedure to be applied to proceedings under Sections 67,67A and 26 of the U.P. Revenue Code. It is all aimed at ensuring





transparency in the procedure, judiciousness in approach by the authorities and to thwart every complaint made with ulterior and oblique motive to dislodge a long settled possession and causing of unnecessary harassment to an innocent villager:

- (i) In case of complaint made on RC Form 19, the official making it shall ensure that proper survey is done in the light of observations made in this judgment, the land, occupation of which has stood identified to be unauthorized is in exact measurement and so also shown in the survey map prepared on scale, as per the Land Revenue Survey Regulations, 1978; the exact assessment of damages on the basis of circle rate with details of calculation made on that basis.
- (ii) In a case of suo-motu action, before issuing RC Form 20, the authority will ensure that proper report upon RC Form 19 is submitted as per para (i) above on parameters of sub rule 1 Rule 67.
- (iii) RC Form 20 must be accompanied by a copy of report and spot survey submitted along with RC Form 19 to the person against whom proceedings have been instituted, or even otherwise submitted in case of suo motu action vide para (ii) above.
- (iv) Upon reply being filed to the notice, if authority finds that spot survey/explanation report is not satisfactory, it may order for a fresh spot report to be prepared in presence of the party aggrieved.
- (v) In the event, objection includes a plea of statutory protection/benefit under Section 67-A, the authority should invite the objection from the Gaon Sabha, and will decide the same along with the matter under Section 67, without requiring aggrieved party to move separate application under Section 67-A.
- (vi) If the report is admitted on record, may be in case no objection is filed, the authority must ensure presence of the person preparing the report before it, to prove the report by his statement, with a right to aggrieved party to cross question him.
- (vii) The authority must endeavor to decide the case within time frame provided under the relevant Act and the Rules and should desist from granting adjournment to the parties in a routine manner.
- (viii) In case of appeal under Section 67(5) of the U.P. Revenue Code, 2006, preferred/ filed within the time prescribed along with interim relief application, the interim relief application as far as possible should be decided within two weeks' time with prior notice to other side and where plea of settlement under Section 67-A has been taken before Assistant Collector-1st Class, and damages to the tune of 25% at-least of the total damages are paid and an affidavit of undertaking is filed for not raising any further construction upon the land in question, the authorities including civil administration should avoid taking any coercive measure pursuant to the order appealed against until the disposal of interim relief application. The Appellate authority may also consider granting interim relief on the very first day of filing of appeal with stay application if above conditions are fulfilled by the appellant.
- (ix) The appellate authority should as far as possible decide the appeal within a period of two months of its presentation.

उक्त के साथ ही शासनादेश दिनांक 30.04.2024 के प्रस्तर-3 में यह भी निर्देशित किया गया है कि:-

- (क) आर0सी0 फार्म-19 पर की गयी शिकायत के मामले में संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस भूमि पर अनधिकृत कब्जे की पहचान की गयी है, का समुचित सर्वेक्षण कराते हुए सटीक पैमाइश की जाय एवं भू-राजस्व सर्वेक्षण विनियम 1978 के अनुसार पैमाने में तैयार किया गया सर्वेक्षण मानचित्र में भी प्रदर्शित किया जाय। साथ ही सर्किल रेट के आधार पर क्षति की गणना कराते हुए क्षति का सटीक आंकलन भी किया जाय।

[Handwritten signature]



(ख) अन्तरिम राहत के मामले में, यदि अपील उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 67(5) में निर्धारित समय के भीतर की गयी हो, विपक्षी को पूर्व सूचना देते हुए यथासंभव दो सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाय और जहाँ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा-67-ए के तहत समझौते की दलील दी गयी है एवं कुल क्षति का 25 प्रतिशत हर्जाना भुगतान करते हुए संबंधित भूमि पर आगे कोई निर्माण न करने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया गया है, तो अन्तरिम राहत के आवेदन पर निर्णय होने तक कोई कार्यवाही न की जाय। अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों को पूरा किये जाने की दशा में अपीलीय प्राधिकारी स्थगन आदेश के साथ अपील दायर करने के दिन ही अन्तरिम राहत देने पर भी विचार कर सकता है।

(ग) ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे/अतिक्रमण के प्रत्येक मामले में उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-67 व उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-66 व 67 में विहित प्राविधान/प्रक्रिया, राजस्व परिषद के पत्रांक आर-1082/जी०-5 01 अति०/2017, दिनांक 08 मई, 2017 के पैरा-7.1 से 7.8 तक में दिये गये दिशा-निर्देशों सहित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-12-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- अतः रिट याचिका संख्या-43407/2024 अंजली यादव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या: रिट-1561/एक-2-2023, दिनांक 19.07.2023, शासनादेश संख्या: आई०/552648/एक-2-2024, दिनांक 30.04.2024, उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-66 व 67 में दी गयी व्यवस्था का शत-प्रतिशत अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी० गुरुप्रसाद)

प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(राम रतन)

विशेष सचिव।



A.I.F.
25.05.26
अफजल इमाम फारूक
शपथ-आयुक्त एवं अनुबाध अधिकारी
न्याय अनुभाग-1
ब००० शासन।